

रिपोर्ट पटवारी पटवारी तहसील निवाई जिला टोंक

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्य सही है। ग्राम वरधल की खाता संख्या 94, 259, 260 मे प्रार्थी का नाम सीताराम उर्फ बिलास दर्ज है, जबकि प्रार्थी के नाम सरकारी दस्तावेजो मे सही नाम सीताराम उर्फ रामबिलास है। खाते मे दर्ज नाम प्रार्थी के नाम का विकृत रूप/अपभ्रंश है। अतः ग्राम वरधल की खाता संख्या 94, 259, 260 मे दर्ज नाम सीताराम उर्फ बिलास बजाय सही इन्द्राज सीताराम उर्फ रामबिलास दर्ज किया जाना उचित है।

मू अमिलेख निरीक्षक 16/5/23

16/05/23  
पटवारी  
पटवारी

कार्यालय तहसीलदार (भू०अ०) कार्यालय तहसीलदार निवाई जिला टोंक

क्रमांक/भू०अ०/2023 / 10603 दिनांक 16/5/23 अमिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार ग्राम वरधल की जमाबन्दी की खाता संख्या 94, 259, 260 मे दर्ज नाम सीताराम उर्फ बिलास के बजाय सही नाम सीताराम उर्फ रामबिलास दर्ज किया जाना उचित है।

16/5/23  
तहसीलदार निवाई  
तहसीलदार (भू०अ०) निवाई

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक  
क्रमांक/ दिनांक

::आदेश::

प्रार्थी के प्रार्थना एवं तहसीलदार निवाई की रिपोर्ट एवं सलग्न दस्तावेजो के

आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम वरधल की जमाबन्दी की खाता संख्या 94, 259, 260 मे दर्ज नाम/इन्द्राज सीताराम उर्फ बिलास के बजाय सही नाम/इन्द्राज सीताराम उर्फ रामबिलास दर्ज करने की स्वीकृती प्रदान की जाती है। तहसीलदार निवाई आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद कर पालना करे।

16/05/23  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
निवाई (टोंक)